<u>दिनांक 28 जून 2019 को सुबह 11:00 बजे बराद सदन के बैठक कक्ष, शैक्षणिक खंड, सिक्किम विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यकारिणी परिषद की 33वीं बैठक का कार्यवृत्त</u>

दिनांक 28 जून 2019 को सुबह 11:00 बजे बराद सदन के बैठक कक्ष में कार्यकारिणी परिषद की 33वीं बैठक का आयोजन किया गया था। निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे :

1. प्रो. अविनाश खरे - अध्यक्ष
   कुलपति
2. प्रो. आद्य प्रसाद पांडे - सदस्य
   कुलपति, मणिपुर विश्वविद्यालय
3. डॉ. रमेश कुमार यादव - सदस्य
   अध्यक्ष
   हरियाणा किसान एवं कृषि लागत एवं मूल्य आयोग
4. प्रो. कृष्ण कुमार - सदस्य
   अध्यक्ष, भौतिकी विभाग, आईआईटी खड़गपुर
   पश्चिम बंगाल
5. प्रो. महेंद्र सिंह सेवेदा - सदस्य
   अध्यक्ष, नवीकरणीय ऊर्जा इंजीनियरिंग विभाग
   कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग और पोस्ट- हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी
   केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, रानीपूल, पूर्वी सिक्किम
6. डॉ. अभिजीत दत्ता - सदस्य
   डीन, व्यावसायिक अध्ययन विद्यापीठ
7. प्रो. नवल के पासवान - सदस्य
   डीन, सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ
8. डॉ. के.आर.राममोहन - सदस्य
   डीन, मानव विज्ञान विद्यापीठ
9. डॉ. कविता लामा - सदस्य
   डीन, भाषा एवं साहित्य विद्यापीठ
10. डॉ. लक्ष्मण शर्मा - सदस्य
    डीन, छात्र कल्याण
11. प्रो. एन. सत्यनारायण - सदस्य
    प्रोफेसर, वनस्पति विज्ञान विभाग
12. डॉ. सुबीर मुखोपाध्याय - सदस्य
    सह प्राध्यापक, भौतिकी विभाग
13. श्री देवाशीष पाल - विशेष आमंत्रित
    वित्त अधिकारी
14. श्री टी.के.कौल - सचिव
    कुलसचिव

प्रो. कैलाश चंद्र शर्मा और प्रोफेसर गंगा प्रसाद प्रसाइन उनके पूर्व-निर्धारित कार्य के लिए बैठक में उपस्थित नहीं हो सकें और अनुपस्थिति के लिए अवकाश की छुट्टी मांगी।

श्री सत्यम राणा, सहायक परिषद को सहायता देने के लिए उपस्थित थे।

सबसे पहले कुलपति महोदय ने 33वीं बैठक में परिषद के सभी सदस्यों का स्वागत किया। उन्होने डॉ. रमेश कुमार यादव, प्रो. कृष्ण कुमार, प्रो. महेंद्र सिंह सेवेदा और डॉ. लक्ष्मण शर्मा को विशेष रूप से स्वागत किया, जो पहली वार बैठक में भाग ले रहे थे। इसके बाद निम्नानुसार विचारणीय विषयों पर चर्चा की गयी।

खंड -1

कार्यवृत्त की संपुष्टि एवं कार्रवाई रिपोर्ट

ईसी 33.1.1: ***दिनांक 8 फरवरी 2019 को आयोजित कार्यकारिणी परिषद की 32वीं बैठक के कार्यवृत्त की संपुष्टि***

दिनांक 8 फरवरी 22019 को आयोजित कार्यकारिणी परिषद की 32वीं बैठक के कार्यवृत्त को सभी सदस्यों को दिनांक 26 फरवरी 2019 को वितरित किया गया था। परिषद के सदस्यों से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है।

दिनांक 8 फरवरी 2019 को आयोजित कार्यकारिणी परिषद की 32वीं बैठक के कार्यवृत्त को दिनांक 26 फरवरी 2019 को वितरित किए जाने के अनुसार पुष्टि की जाती है।

ईसी 33.1.2: ***दिनांक 8 फरवरी 2019 को आयोजित कार्यकारिणी परिषद की 32वीं बैठक के कार्यवृत्त पर ली गयी कार्रवाई की रिपोर्ट***

सचिव ने कार्यकारिणी परिषद की 32वीं बैठक के कार्यवृत्त पर की गयी कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत की। परिषद ने विश्वविद्यालय द्वारा ली गयी कार्रवाई को नोट किया।

खंड - 2

सूचनात्मक विषय

ईसी 33.2.1: ***विश्वविद्यालय की कुलाधिपति की नियुक्ति***

परिषद ने नोट किया कि विश्वविद्यालय की संविधि 1 (1) के अनुसार कुलाधिपति को कार्यकारी परिषद द्वारा अनुशंसित नून्यतम तीन व्यक्तियों के पैनल से विजिटर द्वारा नियुक्त किया जाएगा। परिषद ने यह भी नोट किया कि यदि विजिटर सिफ़ारिश की गयी व्यक्तियों में से किसी को भी अनुमोदित नहीं करते हैं, तो वे कार्यकारी परिषद से नई सिफारिश करने के लिए कह सकते हैं।

परिषद ने आगे उल्लेख किया कि 9 जून 2017 को आयोजित कार्यकारी परिषद की 27 वीं बैठक में विश्वविद्यालय के कुलाधिपति की नियुक्ति के संबंध में मामला उठाया गया था और कार्यकारी परिषद द्वारा अनुशंसित तीन नामों को 5 जुलाई 2017 को एमएचआरडी को भेज दिया गया था। एमएचआरडी द्वारा विश्वविद्यालय से नामों का नया पैनल मांगा गया था। तदनुसार, विश्वविद्यालय के कुलाधिपति की नियुक्ति के लिए भारत के राष्ट्रपति के समक्ष विषय को प्रस्तुत करने के लिए कार्यकारी परिषद के सदस्यों

के विचारार्थ निम्नलिखित नामों का एक नया पैनल परिचालित किया गया था:

1. रियर एड्मिरल राजुल कुमार श्रवत (से.नि)
2. लफ़्टेनेंट जनरल डॉ. दत्तात्रेय बी शेकटकर (से.नि)

3. श्री हिम्मत सिंह, आईपीएस (से.नि)

परिषद के सदस्यों द्वारा संचलन द्वारा एजेंडा आइटम को अनुमोदित किया गया था और सिफारिशें 26 फरवरी 2019 को एमएचआरडी को भेज दी गई थीं। 7 मार्च 2019 को एमएचआरडी ने एक पत्र के माध्यम से लेफ्टिनेंट जनरल डॉ. दत्तात्रेय बी शेकटकर (सेवानिवृत्त) को विजिटर द्वारा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में नियुक्ति करने की सूचना भेजी गयी, जिसे दिनांक 14 मार्च 2019 को विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित किया गया।

परिषद ने विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल डॉ. दत्तात्रेय बी शेकटकर (सेवानिवृत्त) की नियुक्ति को नोट किया।

ईसी 33.2.2: डॉ. करिश्मा कर्थक लेप्चा, सहायक प्राध्यापक, मानवशास्त्र विभाग को असाधारण अवकाश

दिनांक 16 अप्रैल 2018 को आयोजित परिषद की 30वीं बैठक में डॉ. करिश्मा कर्थक लेप्चा, सहायक प्राध्यापक, मानवशास्त्र विभाग को आईआईएएस, शिमला द्वारा संचालित फैलोशिप का लाभ उठाने के लिए दिनांक 01.04.2018 से दो वर्ष की अवधि के लिए असाधारण अवकाश प्रदान करने पर अनुमोदन प्रदान किया है। जबकि, वे दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 तक केवल एक वर्ष की असाधारण अवकाश लेने के बाद दिनांक 01.04.2019 (पूर्वाह्न) को कार्यग्रहण किया है।

परिषद ने डॉ. करिश्मा कर्थक लेप्चा द्वारा केवल एक वर्ष की असाधारण अवकाश को नोट किया।

ईसी 33.2.3: डॉ. नागेंद्र ठाकुर, सहायक प्राध्यापक, सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग के अध्ययन अवकाश के रद्दकरण

परिषद ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित पूर्वोत्तर क्षेत्र के वैज्ञानिक के लिए डीबीटी की ओवरसीज एसोसिएटशिप के तहत पोस्ट-डॉक्टोरल फेलोशिप करने के लिए सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉ. नागेंद्र ठाकुर को 01.09.2018 से 31.08.2019 तक एक वर्ष की अवधि के लिए छुट्टी दी थी। डॉ. नागेंद्र ठाकुर ने अनुसंधान प्रस्ताव के तीन उद्देश्यों में से दो को पूरा किया है। वह तकनीकी मुद्दों के कारण तीसरे उद्देश्य को पूरा करने में असमर्थ रहा । इसलिए उन्होंने ओवरसीज एसोसिएटशिप को बंद कर दिया। विश्वविद्यालय द्वारा डीबीटी को उनकी एसोसिएटशिप बंद करने पर कोई आपत्ति नहीं दी गई। इसलिए, डॉ. नागेंद्र ठाकुर ने अपना अध्ययन अवकाश समाप्त कर दिया और 6 जून 2019 को वापस विश्वविद्यालय में कार्यग्रहण कर लिए।

खंड -3
अनुसमर्थित विषय

ईसी 33.3.1: परीक्षा नियंत्रक के पद के लिए चयन समिति में विशेषज्ञों का नामांकन

परिषद ने उल्लेख किया कि विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 15 दिसंबर 2018 को परीक्षा नियंत्रक के पद के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया था और 7 जून 2019 को चयनित उम्मीदवारों का साक्षात्कार आयोजित किया गया था। परिषद ने यह भी उल्लेख किया कि परीक्षा नियंत्रक के पद के लिए चयन समिति को दिनक 28 मार्च 2008 को कार्यकारिणी परिषद की द्वितीय बैठक में निम्नानुसार निर्णय लिया गया था :

क. कुलपति - अध्यक्ष

ख. कार्यकारिणी परिषद द्वारा नामित परिषद का एक सदस्य - सदस्य

ग. कार्यकारिणी परिषद द्वारा नामित विषय अथवा प्रशासन का विशेष ज्ञान रखने वाले दो व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में नहीं है।

परीक्षा नियंत्रक के पद को भरने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए चयन समिति के लिए निम्नलिखित विशेषज्ञों को कुलपति द्वारा नामित किया गया था:

1.	कार्यकारिणी परिषद का एक सदस्य	प्रो. अभिजीत दत्ता
2.	विश्वविद्यालय की सेवा में नहीं रहनेवाले दो व्यक्ति, जो विषय अथवा प्रशासन का विशेष ज्ञान रखते हैं।	1. प्रो. अन्नपूर्णा नौटियाल 2. प्रो. एस.ए. हाशमी

परिषद ने परीक्षा नियंत्रक के पद के चयन के लिए चयन समिति के लिए नामांकन करने वालों में कुलपति की कार्रवाई की पुष्टि की।

ईसी 33.3.2: प्रयोगशाला अटेंडेंट के पद से श्रीमती सबीना शर्मा का पदत्याग

दिनांक 16 अप्रैल 2018 को आयोजित कार्यकारिणी परिषद की 30वीं बैठक में श्रीमती सबीना शर्मा को एचआरडीडी, सिक्किम सरकार में स्नातक शिक्षक के रूप में कार्यग्रहण करने के लिए दिनांक 7.3.2018 से एक वर्ष की अवधि के लिए लिएन प्रदान किया गया है। लिएन अवधि पूरा करने पर श्रीमति सबीना शर्मा को लिएन समाप्त करने तथा पद से इस्तीफा देने के लिए कहा गया था। कुलपति ने उनके इस्तीफा को दिनांक 6.3.3019 (अपराह्न) से स्वीकार किया।

परिषद ने श्रीमती सबीना शर्मा के दिनांक 6.3.2019 (अपराह्न) से इस्तीफा स्वीकार करने की कुलपति की कार्रवाई को अनुसमर्थित किया।

ईसी 33.3.3: हिन्दी अधिकारी के पद से श्री शैलेश शुक्ला के लिएन की समाप्ति

परिषद ने उल्लेख किया कि दिनांक 1 दिसंबर 2017 को आयोजित 29वीं बैठक में श्री शैलेश शुक्ला को एनएमडीसी लिमिटेड, हैदराबाद में कनिष्ठ प्रबंधन (राजभाषा) के रूप में कार्यग्रहण करने के लिए दिनांक 29 जनवरी 2018 से एक वर्ष की अवधि के लिए लिएन प्रदान करते हुए कार्यमुक्त किया गया था। श्री शैलेश शुक्ला ने दिनांक 29 जनवरी 2019 से और एक वर्ष तक लिएन अवधि बढ़ा देने के लिए निवेदन किया । परिषद ने उल्लेख किया कि दिनांक 8 फरवरी 2019 को आयोजित कार्यकारिणी परिषद की 32वीं बैठक में लिएन के लिए अनुमोदित नए दिशा-निर्देशों के अनुसार श्री शैलेश शुक्ला लिएन अवधि बढ़ाने के लिए हकदार नहीं है और इसलिए लिएन बढ़ाने हेतु उनके निवेदन पर विचार नहीं किया गया था। उन्हें इस संबंध में अवगत कराया गया था और उन्हें एक महीने के अंदर कार्यग्रहण करने के लिए कहा गया था, एस नहीं करने पर इसे इस्तीफा के रूप में माना जाएगा। उन्होने पत्र का ना ही कोई उत्तर दिया और कार्यग्रहण भी नहीं किया।

विचार-विमर्श के बाद परिषद ने एक पत्र भेजते हुए एक और अवसर प्रदान करें हेतु निर्णय लिया गया, कोई प्रतिकृया नहीं भेजने पर उन्हें इस्तीफा दिया समझा जाएगा और विश्वविद्यालय की तालिका से हटा दिया जाएगा।

ईसी 33.3.4: श्रीमती सर्बदा प्रधान, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष को अध्ययन अवकाश प्रदान

श्रीमती सर्बदा प्रधान, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष ने दिनांक 31 जनवरी 2019 के पत्र के माध्यम से अपने पीएचडी, जिसके लिए वे यादवपुर विश्वविद्यालय में पंजीकृत हैं, से संबन्धित कार्य करने के लिए 1 मार्च 2019 से 27 अगस्त 2019 तक छह महीने की अध्ययन अवकाश प्रदान करने हेतु निवेदन किया। परिषद ने आगे कहा कि श्रीमती सर्बदा प्रधान ने 7 दिसंबर 2015 को विश्वविद्यालय में कार्यग्रहण किया था और नियमित पद पर तीन साल की निरंतर सेवा पूरी की है। विश्वविद्यालय के अवकाश अध्यादेश में उल्लेख है कि तीन साल की निरंतर सेवाओं के बाद सहायक पुस्तकालयाध्यक्षों को प्रवेश-स्तर नियुक्ति के लिए अध्ययन अवकाश प्रदान किया जाता है। श्रीमती सर्बदा प्रधान के अनुरोध को कुलपति द्वारा स्वीकार कर लिया गया और उन्हें 1 मार्च 2019 से छह महीने की अवधि के लिए अध्ययन अवकाश प्रदान किया गया।

परिषद ने श्रीमती सर्बदा प्रधान को उनके पीएचडी पर कार्य करने के लिए दिनांक 1 मार्च 2019 से 27 अगस्त 2019 तक अध्ययन अवकाश प्रदान करने की कुलपति की कार्रवाई को अनुसमर्थित किया।

ईसी 33.3.5: प्रवेश सत्र 2019-20 के लिए शुल्क संरचना समिति की रिपोर्ट

परिषद ने उल्लेख किया कि 8 फरवरी 2019 को आयोजित परिषद की 32 वीं बैठक में सिक्किम विश्वविद्यालय में प्रयोगशाला आधारित और गैर-प्रयोगशाला आधारित, व्यावसायिक और गैर-व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के संदर्भ में विभिन्न पाठ्यक्रमों की शुल्क संरचना को सुव्यवस्थित करने के लिए विश्वविद्यालय अध्यादेश ओसी -3 में प्रदान की गई शुल्कसंरचना पर ध्यान देने के लिए प्रोफेसर अभिजीत दत्ता की अध्यक्षता में एक नई समिति का गठन किया। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। चूंकि, 12 अप्रैल 2019 को चालू सत्र के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू की गयी, इसलिए विश्वविद्यालय ने शुल्क संरचना पर समिति की सिफारिशों को लागू किया और प्रोस्पेक्टस 2019-20 में शुल्क संरचना को शामिल किया।

परिषद ने समिति की सिफ़ारिशों को स्वीकार करने तथा संशोधित शुल्क संरचना को कार्यान्वित करने के लिए कुलपति की कार्रवाई को अनुसमर्थित किया।

खंड -4
विचारार्थ और अनुमोदनार्थ विषय

ईसी 33.4.1: परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति

कार्यकारिणी परिषद ने श्री प्रणब कुमार सरकार को परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति के प्रस्ताव देने के लिए परीक्षा नियंत्रक के पद के लिए चयन समिति की कार्यवाही को मंजूरी दे दी। परिषद ने इस पद के लिए प्रतीक्षा-सूची को इस प्रकार अनुमोदित किया:

1. श्री श्रीकर बी.
2. श्री संजय कुमार दास

ईसी 33.4.2: लिएन अवधि को बढ़ाना

परिषद ने उल्लेख किया कि सूचीबद्ध संकाय सदस्यों को सूची में उल्लिखित तिथि (तारीखों) को एक वर्ष की अवधि के लिए लिएन प्रदान किया गया था। परिषद ने आगे उल्लेख किया कि विश्वविद्यालय को एक वर्ष की अवधि के लिए लिएन के निवेदन प्राप्त हुए हैं। यह भी नोट किया गया कि डॉ. मनीष ने 31 अक्टूबर 2017 से इस्तीफा दे दिया है, जिसके लिए बैठक में एक अलग एजेंडा आइटम रखा गया है।

क्र.सं.	नाम	विभाग	कार्यमुक्त की तिथि	कार्यग्रहण
1.	प्रो. नूतन कुमार एस. थिंगुजाम	मनोविज्ञान	21.12.2017	त्रिपुरा विश्वविद्यालय
2.	डॉ. मनीष	अंतर्राष्ट्रीय संबंध	31.10.2017	गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय
3.	डॉ. विमल किशोर	शिक्षा	31.01.2018	झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय
4.	श्री विजय वी.	विधि	23.02.2018	दिल्ली विश्वविद्यालय

परिषद ने इस विषय पर विस्तार से विचार-विमर्श किया। परिषद की राय थी कि वर्तमान में विश्वविद्यालय में एक वर्ष से अधिक के लिए ग्रहणाधिकार की अनुमति देने के लिए पर्याप्त संकाय सदस्य नहीं हैं। यह भी उल्लेख किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग में संकायों की संख्या काफी कम हो गई है और पीएचडी स्कॉलरों के मार्गदर्शन के लिए अब कोई संकाय सदस्य नहीं है।

परिषद ने निम्नलिखित संकाय सदस्यों को केवल छह महीने की अवधि के लिए लिएन अवधि को बढ़ाने की मंजूरी देने का निर्णय लिया :

1. प्रो. नूतन कुमार एस. थिंगुजाम
2. डॉ. विमल किशोर
3. श्री विजय वी.

ईसी 33.4.3: सहायक प्राध्यापक को सीएएस के तहत स्तर 1 से स्तर II में पदोन्नति देने के लिए जांच सह मूल्यांकन समिति की कार्यवाही

परिषद ने उल्लेख किया कि डॉ. राम भवन यादव, सहायक प्राध्यापक, अंग्रेजी विभाग ने सहायक प्रोफेसर के स्टेज II में नियुक्ति के लिए मानदंडों को पूरा किया है। तदनुसार दिनांक 23 अप्रैल 2019 को जांच सह मूल्यांकन समिति के समक्ष प्रस्तुत होने के लिए उन्हें बुलाया गया था। परिषद ने दिनांक 20 अप्रैल 2018

से डॉ. राम भवन यादव, सहायक प्राध्यापक, अंग्रेजी विभाग को द्वितीय चरण में पदोन्नति देने के लिए जांच सह मूल्यांकन समिति की कार्यवाही को मंजूरी दे दी।

ईसी 33.4.4: श्री शंकर नारायण बाग, सहायक प्राध्यापक का अध्ययन अवकाश

परिषद ने उल्लेख किया कि श्री शंकर नारायण बाग, सहायक प्राध्यापक, समाजशास्त्र विभाग ने 8 जुलाई 2019 से 7 जुलाई 2022 तक तीन साल की अवधि के लिए अध्ययन अवकाश प्रदान करने का निवेदन किया था। उन्होंने 7 दिसंबर 2018 को तीन साल की निरंतर सेवा पूरी कर ली है और वे दिनांक 22.07.2013 से जेएनयू में एक पंजीकृत स्कॉलर है।

परिषद ने 8 जुलाई 2019 से 7 जुलाई 2022 तक अवकाश अध्यादेश के अनुसार तीन साल की अवधि के लिए श्री शंकर नारायण बाग के अध्ययन अवकाश को मंजूरी दी।

ईसी 33.4.5: डॉ. सुभाष मिश्रा, सहायक प्राध्यापक को कार्यमुक्त

परिषद ने उल्लेख किया कि दिनांक 16 अप्रैल 2018 को आयोजित परिषद की 30वीं बैठक में डॉ. सुभाष मिश्रा, शिक्षा विभाग के निवेदन पर उन्हें बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ में सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यग्रहण करने के लिए दिनांक 12.12.2017 से लिएन पर कार्यमुक्त करने हेतु स्वीकार किया गया था। विश्वविद्यालय को बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ के कुलसचिव का पत्र मिला है, जिसमें कहा गया है कि उनके विश्वविद्यालय में डॉ. सुभाष मिश्रा की सेवाओं की पुष्टि की गई है।

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ में डॉ. सुभाष मिश्रा की पुष्टि के मद्देनजर उन्हें सिक्किम विश्वविद्यालय से 12.12.2017 को स्थायी रूप से सेवामुक्त किया गया और उनके पद रिक्त हो गए।

ईसी 33.4.6: मानद संकाय/विजिटिंग फैलो के संबंध में

परिषद ने उल्लेख किया कि विश्वविद्यालय द्वारा प्रोफेसर ज्योति प्रकाश तमांग के तहत मानद संकाय/ विजिटिंग फेलो पर एक समिति का गठन किया गया था, जिसने विश्वविद्यालय को मानद संकाय/ विजिटिंग फेलो को आमंत्रित करने के लिए मानदंड और प्रक्रिया तय करने के लिए दिशानिर्देशों की सिफारिश की है।

परिषद ने विवरणों पर गहराई से विचार किया और यह माना कि भारत में मानद संकाय/विजिटिंग फेलो को इकोनॉमी क्लास एयर किराया देने के बजाय उसके कार्यस्थल से अंतर्राष्ट्रीय यात्रा का भुगतान किया जा सकता है। मानदेय के लिए निर्णय लेने के लिए परिषद की राय थी कि इस मामले को देखने के लिए एक समिति बनाई जाएँ। इस योजना के तहत विजिटिंग फेलो के मानदेय के मुद्दे को देखने के लिए एक समिति का गठन करने के लिए कुलपति को अधिकृत किया गया था। रिपोर्ट के अन्य विवरण परिषद द्वारा स्वीकार किए गए थे।

ईसी 33.4.7: सिक्किम विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को लिएन प्रदान से संबन्धित दिशानिर्देशों में जोड़ना

परिषद ने उल्लेख किया कि 8 फरवरी 2019 को आयोजित परिषद की 32 वीं बैठक में सिक्किम विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को लिएन प्रदान से संबन्धित दिशानिर्देशों को मंजूरी दी। कुछ सदस्यों ने देखा कि दिशानिर्देशों में अंतर सरकारी संगठन और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का कोई उल्लेख नहीं है। तदनुसार, प्रोफेसर शांति एस शर्मा और डॉ. सुरेश के गुरुंग के साथ प्रोफेसर नवल किशोर पासवान की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने सिफारिश की है कि दिशानिर्देशों के क्लॉज़ (i) (a) के तहत, निम्नलिखित वाक्य को जोड़ा जा सकता है -

"इसमें भारत सरकार और अन्य देशों की सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित भारत में स्थित संस्थान या समूह भी शामिल हैं"।

परिषद ने विचार-विमर्श के बाद लिएन की अनुमति देने के लिए उपरोक्त वाक्य को शामिल किया। भारत सरकार और अन्य देशों की सरकार द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित भारत में स्थित संस्थान और संगठन लिएन प्रदान करने के दिशनिर्धेशों की धारा (i) (ए) के अधीन है।

ईसी 33.4.8: शिक्षकों की परिवीक्षा अवधि सम्पूर्ण

परिषद ने उल्लेख किया कि निम्नलिखित शिक्षकों ने नीचे प्रत्येक के सामने उल्लेखित तिथि को परिवीक्षा अवधि पूरी कि है :

क्र.सं	नाम	पदनाम	कार्यग्रहण की तिथि	परिवीक्षा पूरा करने की तिथि
1	डॉ. अनिल कुमार मिश्रा	सह प्राध्यापक	29.11.2017	28.11.2018
2	डॉ. अनिल कुमार वर्मा	सहायक प्राध्यापक	23.01.2018	22.01.2019

परिषद ने यह भी उल्लेख किया कि उनके प्रदर्शन की समीक्षा संबंधित समीक्षा प्राधिकारी द्वारा की गई है और संतोषजनक रिपोर्ट के मद्देनजर परिषद ने इन दोनों शिक्षकों की परिवीक्षा को समाप्त करने और परिवीक्षा के पूरा होने की तिथि के बाद से विश्वविद्यालय में उनकी सेवा की पुष्टि की जाने हेतु निर्णय लिया गया।

ईसी 33.4.9: अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के सह प्राध्यापक के पद से डॉ. मनीष का इस्तीफा

परिषद ने उल्लेख किया कि 1 दिसंबर 2017 को आयोजित परिषद की 29 वीं बैठक में डॉ. मनीष, सह प्राध्यापक, अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग को 31 अक्टूबर 2017 से एक साल की अवधि के लिए गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में शामिल होने की मंजूरी दे दी। । एक साल का लिएन पूरा होने के बाद डॉ. मनीष ने एक वर्ष के लिए लिएन बढ़ाने हेतु निवेदन किया था। परिषद ने यह भी उल्लेख

किया है कि गुजरात विश्वविद्यालय ने डॉ. मनीष की पुष्टि की और तदनुसार उन्होंने 31 अक्टूबर 2017 से इस्तीफा सौंपकर अपने लिएन को समाप्त करने का अनुरोध प्रस्तुत किया है।

परिषद ने यह भी कहा कि उनके मार्गदर्शन में तीन शोधार्थी शोध कार्य कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग में संकायों की संख्या काफी कम हो गई है कि पीएचडी स्कॉलर्स के लिए पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करने के लिए कोई संकाय उपलब्ध नहीं है।

काउंसिल ने गुजरातकेंद्रीय विश्वविद्यालय में पुष्टि होने पर सिक्किम विश्वविद्यालय में डॉ. मनीष के इस्तीफे को दिनांक 31 अक्टूबर 2017 से मंजूरी दे दी।

ईसी 33.4.10: सिक्किम राज्य विश्वविद्यालय में सिक्किम सरकारी महाविद्यालयों की संबद्धता

परिषद ने कहा कि सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 6 के अनुसार सिक्किम राज्य के सभी कॉलेजों को सिक्किम विश्वविद्यालय से संबद्ध किया जाना है। इसके अलावा, केंद्र सरकार एक अधिसूचना द्वारा उप-धारा के प्रावधान से आदेश में निर्दिष्ट किसी भी शैक्षणिक संस्थान को छूट दे सकती है।

परिषद ने यह भी कहा कि जून 2017 में मानव संसाधन विकास विभाग, सिक्किम सरकार द्वारा किए गए अनुरोध के आधार पर एमएचआरडी ने सरकार की संबद्धता के बारे में हमारी टिप्पणी मांगी। विश्वविद्यालय ने प्रस्तावित राज्य विश्वविद्यालय में सरकारी महाविद्यालयों की संबद्धता के लिए “अनापत्ति” दी है। एमएचआरडी को आगे बताया गया कि सिक्किम में निम्नलिखित निजी विश्वविद्यालय हैं:

1. विनायक मिशन सिक्किम विश्वविद्यालय
2. आईसीएफ़एआई सिक्किम विश्वविद्यालय
3. ईआईआईएलएम सिक्किम विश्वविद्यालय
4. एसआरएम विश्वविद्यालय, सिक्किम
5. सिक्किम मणिपाल विश्वविद्यालय

इन विश्वविद्यालयों के नाम सिक्किम और बाहर के आम लोगों में बहुत भ्रम पैदा करते हैं। एमएचआरडी को यह सुझाव दिया गया था कि सिक्किम विश्वविद्यालय का नाम बदलकर 'सिक्किम केंद्रीय विश्वविद्यालय' या 'सिक्किम केंद्रीय विश्वविद्यालय' रखा जाए, ताकि सिक्किम में अन्य विश्वविद्यालयों के नाम सिक्किम विश्वविद्यालय के साथ न मिलें।

परिषद ने आगे उल्लेख किया है कि एमएचआरडी के दिनांक 6 मार्च 2019 के पत्र में कहा गया है कि विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई टिप्पणियों में शायद कार्यकारिणी परिषद की स्वीकृति नहीं है और टिप्पणियों के लिए इस मामले को फिर से विश्वविद्यालय को भेज दिया है। इस मामले को जानबूझकर लंबा खींचा गया। परिषद ने उल्लेख किया कि सिक्किम राज्य विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया है और कुलपति और कुछ कर्मचारी सदस्यों को तैनात किया गया है। हालांकि, अब तक संकाय और कर्मचारियों के संबंध में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। परिषद ने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने सरकारी कॉलेजों

को शैक्षणिक सत्र 2019-20 के लिए सिक्किम विश्वविद्यालय के साथ संबद्धता जारी रखने के निर्देश जारी किए हैं।

परिषद ने विचार-विमर्श के बाद निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय द्वारा सिक्किम विश्वविद्यालय से सरकारी कॉलेजों के संबद्धता समाप्त करने के लिए एमएचआरडी को "अनापत्ति प्रमाणपत्र" दिया जाए। हालाँकि, स्थानांतरण एक व्यवस्थित तरीके से हो, ताकि सिक्किम विश्वविद्यालय के अंतर्गत कॉलेजों द्वारा भर्ती कराये गए छात्र सिक्किम विश्वविद्यालय के साथ रहे, जब तक कि वे पाठ्यक्रम समाप्त नहीं कर लेते और कॉलेज सिक्किम राज्य के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2020-21 से छात्रों के प्रवेश लेकर धीरे-धीरे संबद्धता को समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।

परिषद ने यह भी मंजूरी दी कि राज्य में विभिन्न निजी विश्वविद्यालयों के साथ सिक्किम विश्वविद्यालय के नाम पर भ्रम की स्थिति को देखते हुए सिक्किम विश्वविद्यालय का नाम बदलकर 'सिक्किम का केंद्रीय विश्वविद्यालय' या 'सिक्किम केंद्रीय विश्वविद्यालय' के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। एमएचआरडी इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करें। ।

खंड – 5
प्राधिकरणों/समितियों के कार्यवृत्त

ईसी 33.5.1: दिनांक 24 मई 2019 को आयोजित वित्त समिति की 23वीं बैठक का कार्यवृत्त

नोट कर लिया गया है।

ईसी 33.5.2: दिनांक 4 फरवरी 2019 को आयोजित भवन समिति की 11वीं बैठक का कार्यवृत्त

नोट कर लिया गया है।

ईसी 33.5.3: दिनांक 20 मई 2019 को आयोजित भवन समिति की 12वीं बैठक का कार्यवृत्त

नोट कर लिया गया है।

ईसी 33.5.4: दिनांक 25 जून 2019 को आयोजित शैक्षणिक परिषद की 25वीं बैठक का कार्यवृत्त

परिषद ने 25 जून 2019 को आयोजित शैक्षणिक परिषद की 25 वीं बैठक के कार्यवृत्त को नोट किया। परिषद ने निम्नलिखित विषयों पर विशेष अनुमोदन प्रदान किया है :

i) एमफिल/पीएचडी उपाधि 2016 के पुरस्कार के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रियाओं पर यूजीसी विनियमों और उसके संशोधनों को अपनाना।

ii) उच्च शैक्षणिक संस्थानों में शैक्षणिक अखंडता की प्रोन्नति और साहित्यिक चोरी की रोकथाम पर यूजीसी विनियम, 2018 को अपनाना और विनियमों को अपनाने के दौरान अन्य पहलुओं पर विचार करने के लिए समिति की रिपोर्ट।

iii) परियोजना निधि के उपरिव्यय का वितरण निम्नानुसार है:

क) मरम्मत बजट जैसे अनपेक्षित व्यय की पूर्ति के लिए प्रधान अन्वेषक के लिए 20% जो कि परियोजना बजट में पूरा नहीं किया गया है। यह राशि पीआई को नकद में भुगतान नहीं की जाएगी, लेकिन विश्वविद्यालय की प्रक्रियाओं के अनुसार खर्च की जा सकती है।

ख) परियोजना से संबन्धित कार्य की देख-रेख करने के लिए प्रशासनिक/वित्त विभागों के लिए संविदात्मक कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए 20%। संविदात्मक कर्मचारियों को विशेष रूप से परियोजना के निपटान में नहीं रखा जाएगा, लेकिन अन्य विभागीय/ प्रशासनिक कार्यों में भाग लेना होगा।

ग) अनुसंधान परियोजनाओं और प्रकाशन पुरस्कार देने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा 60% सुरक्षित रखे जाएंगे।

iv) शैक्षणिक मूल्यांकन के लिए यूजीसी द्वारा प्रकाशन के लिए लराष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकाडमी (एनएएएस) द्वारा निर्धारित पत्रिका की मान्यता

v) कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग के लिए कंप्यूटर अनुप्रयोग विभाग का नाम बदलने का प्रस्ताव

vi) पूर्ववर्ती सिक्किम गवर्नमेंट कॉलेज, तादोंग (अब नर बहादुर भंडारी डिग्री कॉलेज, तादोंग) में स्नातकोत्तर केंद्रों का विस्तार के नवीकरण ।

खंड 6
अध्यक्ष की ओर से विषय

ईसी 33.6.1: यौन उत्पीड़न की शिकायत पर आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) की रिपोर्ट

दिनांक 12 मई 2019 को जनसंचार विभाग में एमए पाठ्यक्रम की पढ़ाई कर रही एक छात्रा से आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) के पीठासीन अधिकारी को 5 मई 2019 को होटल टेरेस हिल में एक शादी के रिसेप्शन पर उसकी सहमति के बिना अनुचित तरीके से छूकर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए प्रो. सिलाजीत गुहा, अध्यक्ष, जनसंचार विभाग के खिलाफ शिकायत प्राप्त हुई थी। पीठासीन अधिकारी ने 13 मई 2019 को आईसीसी की बैठक बुलाई जिसमें शिकायत पर विचार किया गया कि समिति का मानना है कि यह एक यौन उत्पीड़न का मामला था और शिकायत को औपचारिक जांच के लिए स्वीकार किया गया था। आईसीसी की सिफारिश पर प्रोफ़ेसर सिलाजीत गुहा, अध्यक्ष, जनसंचार विभाग को दिनांक 13.05.2019 को जारी कार्यालय आदेश 62/2019 द्वारा अध्यक्षता से हटाया गया था। उनके स्थान पर डॉ. मनोज कुमार दास, सहायक प्राध्यापक को जनसंचार विभाग का प्रभारी बनाया गया था। प्रोफ़ेसर सिलाजीत गुहा, अध्यक्ष, जनसंचार विभाग को जबतक आईसीसी की जांच पूरी नहीं जाती तब तक विभाग के सदस्य

के रूप से पर्यवेक्षण, मूल्यांकन, पेपर सेटिंग और अन्य जिम्मेदारियाँ सहित सभी उत्तरदायित्वों से वंचित किया गया था। उन्हें जनसंचार विभाग में प्रवेश करने से भी वंचित कर दिया गया था।

आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) ने 10 जून 2019 को जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रो. सिलाजीत गुहा के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप साबित हुआ है और सेवा से हटाने का जुर्माना लगाने की सिफारिश की गई है।

आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) की रिपोर्ट और सेवा से हटाने की सिफारिश के आधार पर यूजीसी (उच्च शिक्षण संस्थानों में महिला कर्मचारियों और छात्रों के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण) विनियम 10 की धारा 8(6) के तहत प्रो सिलाजीत गुहा को 10 जून 2019 को (11 जून 2019 को प्रोफेसर सिलजीत गुहा के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्राप्त) 10 दिन के अंदर उत्तर देने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। प्रो सिलाजीत गुहा ने 21 जून 2019 को कारण बताओ नोटिस पर अपना जवाब प्रस्तुत किया।

आंतरिक शिकायत समिति की रिपोर्ट और कारण बताओं नोटिस पर प्रो सिलाजीत गुहा की प्रतिक्रिया को विचारार्थ सदन के पटल पर रखा गया।

अध्यक्ष ने रिपोर्ट पेश करने के लिए आंतरिक शिकायत समिति के पीठासीन अधिकारी को आमंत्रित किया। आईसीसी के पीठासीन अधिकारी द्वारा मामला प्रस्तुत किए जाने के बाद सदस्यों द्वारा कुछ स्पष्टीकरण मांगे गए थे। इसके बाद, वह सभा स्थल से चली गई।

कारण बताओ नोटिस के जवाब में प्रो सिलाजित ने आरोपों का खंडन किया था, सवाल उठाया कि घटना "वर्क प्लेस" के आसपास नहीं हुई थी, अधिनियम की धारा 11 के प्रावधान के साथ यूजीसी विनियमों के खंड 8 का उल्लंघन, आईसीसी के निष्कर्ष के खिलाफ अपील करने का उसका अधिकार, आईसीसी द्वारा न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एपी सुब्बा से बिना किसी प्राधिकार के कानूनी राय मांगी गई आदि।

मामला विस्तृत विचार-विमर्श हेतु आगे बढ़ा। सदस्यों में से एक ने 13 मई 2019 को सुश्री सोनम सुल्ताना शाह,एमफिल रिसर्च स्कॉलर से डॉ. मनोज कुमार दास, जनसंचार विभाग के प्रभारी को भेजे गए ई-मेल की एक प्रति का प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया था कि उनके पर्यवेक्षक डॉ. पूजा बस्नेट से आईसीसी में प्रोफेसर सिलजीत गुहा के खिलाफ गवाही देने के लिए एक अप्रत्यक्ष दबाव महसूस किया था। उसने आगे कहा है कि उसकी जानकारी के बिना उसके फोन कॉल रिकॉर्ड किए गए हैं और अप्रत्यक्ष रूप से आईसीसी को उस रिकॉर्डिंग को सबूत के तौर पर उपलब्ध कराकर धमकाने की कोशिश की गई है।

विभिन्न विकल्पों और संभावनाओं पर विचार करते हुए मामले को गहराई से समझा गया। विस्तृत चर्चा के बाद परिषद ने सर्वसम्मति से आंतरिक शिकायत समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने और प्रोफेसर सिलाजीत गुहा को तत्काल प्रभाव से विश्वविद्यालय की सेवा से हटाने का फैसला किया।

अध्यक्ष के धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

हस्ता/-
(टी.के.कौल)
कुलसचिव एवं सचिव
कार्यकारिणी परिषद

हस्ता/-
(प्रो. अविनाश खरे)
कुलपति एवं अध्यक्ष
कार्यकारिणी परिषद